HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16487/2026
CNR: RJHC021000522026 | URN: CRLMB / 30436U / 2026

Lokesh Kasana @ Lakki S/o Shri Babulal, Aged About 25 Years, R/o Nai Kothi, Police Station Sikandra, District Dausa (Rajasthan) (At Present Confined In District Jail Alwar).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Poonam Chand Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakar, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

28/10/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना टेहला, जिला–अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 126/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 115(1), 126(2), 189(2), 117(2), 110 भारतीय न्याय संहिता में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त लोकेश कसाना उर्फ लक्की का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त पर परिवादी को विशिष्ट चोट कारित करने का कोई आक्षेप नहीं है और न ही उस पर सोने की चेन तोड़कर ले जाने का ही आक्षेप है। उनका तर्क है कि जिन 3,00,000 रूपयों को मशीन में लोड करना परिवादी ने कहा है, वे बाद में अन्वेषण के दौरान एटीएम मशीन में ही मिल गये हैं। प्रार्थी–अभियुक्त से किसी हथियार अथवा किसी भी वस्तु की कोई बरामदगी नहीं हुई है। उनका तर्क है कि आहत कुलदीप को दो गम्भीर चोटें कारित हुई है, जो हाथ एवं पैर पर आई हैं। उक्त दोनों चोटें कारित करने का विशिष्ट आक्षेप भी प्रार्थी पर नहीं है। आहत को कारित चोटों में से 06 चोटें साधारण प्रकृति की है। प्रार्थी दिनांक 18.09.2026 से अभिरक्षा में है तथा उसके विरूद्ध

पूर्व के तीन आपराधिक प्रकरण संस्थित होना बताये गये हैं, जिनमें से 02 प्रकरणों में वह दोषमुक्त हो चुका है तथा 01 प्रकरण धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता का लम्बित है। प्रकरण के अन्वेषण और अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी ने अन्य अभियुक्तगण के साथ नारायणपुर स्टैण्ड स्थित एटीएम पर आकर एटीएम के गार्ड परिवादी कुलदीप सिंह के कुल्हाड़ी, लोहे की रॉड, डण्डा आदि से मारपीट की है। आहत को कुल 08 चोटें कारित हुई हैं, जिनमें से 02 गम्भीर प्रकृति की है। आहत को कारित एक चोट मार्मिक भाग (vital part) पर कनपटी के हिस्से (temporal region) में कारित हुई है। आहत ने अपने धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन में प्रार्थी का नाम घटना कारित करने वालों में लिया है। प्रकरण में अभी अन्वेषण पूर्ण नहीं हुआ है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 115(1), 126(2), 189(2), 117(2), 110 भारतीय न्याय संहिता के अपराधों का अभियोग है। प्रार्थी पर यह आक्षेप है कि वह अन्य अभियुक्तगण के साथ कुल्हाड़ी, लोहे की रॉड़, डण्डे आदि हथियारों से लेस होकर एटीएम पंहुचा और वहां गार्ड/परिवादी के साथ मारपीट कर उसकी सोने की चैन ले गया। घटना में आहत कुलदीप सिंह के शरीर पर कुल 08 चोटें कारित हुई हैं, जिनमें से 02 चोटें गम्भीर प्रकृति की हैं। आहत को कारित साधारण चोटों में से एक चोट उसके मार्मिक भाग (vital part) पर कनपटी के हिस्से (temporal region) में कारित हुई है। आहत ने अपने धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन में प्रार्थी–अभियुक्त का नाम घटना कारित करने वालों में लिया है। **प्रकरण में अभी अन्वेषण पूर्ण नहीं हुआ है।** प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

47/VISHAL SHARMA